बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी एवं मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के विरूद्ध उनके मंडल कारा, सीतामढ़ी एवं मंडल कारा, आरा में पदस्थापन के दौरान कारा पर समुचित प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रखने, कर्त्तव्य निर्वहन में लापरवाही बरतने, सक्षम पदाधिकारी की अनुमति के बिना कारा वाहन के साथ अपने मुख्यालय से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में गृह (विशेष) विभाग की अधिसूचना ज्ञापांक 7409 दिनांक 16.09.2009 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमण्डल, पटना के पत्रांक 1909 दिनांक 28.08.2014 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त (विभागीय जाँच)–सह–संचालन पदाधिकारी, पटना प्रमण्डल, पटना द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री राम के विरूद्ध गठित आरोपों में से आरोप संख्या–01 को प्रमाणित एवं आरोप संख्या–02 को अप्रमाणित प्रतिवेदित किया गया। बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय पत्रांक 5419 दिनांक 15.10.2014 द्वारा संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री राम से उपर्युक्त प्रमाणित आरोप एवं अप्रमाणित पाये गये आरोप से असहमति के लिए द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री राम के द्वारा दिनांक 10.11.2014 को द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया गया।

3. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री राम द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षा की गयी। समीक्षोपरांत श्री राम के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार पेंशन नियमावली के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

" पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए "।

4. उपर्युक्त विनिश्चयी दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 581 दिनांक 28.01.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग, पटना के पत्रांक 558 दिनांक 20.05.2016 द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर सहमति संसूचित की गयी है।

5. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3384 दिनांक 03.06.2016 द्वारा श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी एवं मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) को निम्नांकित दंड अधिरोपित किया गया :–

" पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों के लिए "।

6. श्री राम द्वारा विभागीय संकल्प ज्ञापांक 3384 दिनांक 03.06.16 द्वारा संसूचित उपर्युक्त दंडादेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसमें उनका कहना है कि मंडल कारा, सीतामढ़ी के पश्चात् मंडल कारा, आरा में पदस्थापित होने के पश्चात् उन्होंने इस संबध में अपने पत्रांक 1259 दिनांक 14.06.2007 के द्वारा स्पष्टीकरण भेजी थी, परन्तु उनके पदस्थापन काल में उसका निराकरण नहीं किया गया तथा सेवानिवृत्ति के बाद इतनी लम्बी अवधि के पश्चात् विभागीय कार्यवाही के उपरान्त " पेंशन से 5% (पाँच प्रतिशत) की राशि की कटौती 10 (दस) वर्षों तक ", का जो दण्ड दिया गया है, उसे क्षमा किया जाय। श्री राम का कहना है कि उनके विरूद्ध जो दण्ड पारित किया गया है वह विभागीय कार्यवाही के जाँच प्रतिवेदन से बिल्कुल अलग प्रतीत होता है। उनका कहना है कि मंडल कारा, आरा में दिनांक 05/06.07.2008 को दो विचाराधीन बंदियों के पलायन की घटना हुई थी और इस संबंध में तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी तथा जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को ससमय सूचना दी गई थी। इस आरोप में उच्च कक्षपाल एवं कक्षपाल दोनों को निलंबित किया गया तथा अन्य सभी कार्रवाई ससमय की गई थी।

7. श्री राम के उपर्युक्त पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरान्त पाया गया कि श्री राम दिनांक 20.09.2003 से 26.09.2003 तक अनधिकृत रूप से मुख्यालय से कारा वाहन के साथ अनुपस्थित थे तथा इस अवधि में दिनांक 26.09.2003 की रात्रि में बंदी रामेश्वर मंडल को ससमय अस्पताल नहीं ले जाने के कारण मृत्यु हो गई थी। विभागीय कार्यवाही के संचालन के

क्रम में उनका यह तर्क है कि उन्हें विशेष न्यायाधीश, आर्थिक अपराध, मुजफ्फरपुर के समक्ष दिनांक 22.09.2003 को उपस्थित होना था, जो उनके विरूद्ध गठित आरोप को नहीं नकार रहा है। कारा जैसे संवेदनशील स्थल से बिना जिला पदाधिकारी को सूचना दिये अपने कारा से प्रस्थान करना उनकी स्वेच्छाचारिता एवं कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है। मंडल कारा, आरा में दिनांक 05/06.07.2008 की रात्रि में बंदी कक्ष संख्या–03 से दो बंदियों की पलायन की घटना के लिए उच्च कक्षपाल एवं कक्षपाल मुख्य रूप से दोषी थे, लेकिन कारा में रात्रि गश्त तथा कारा में प्रशासनिक नियंत्रण नहीं रहने के लिए आरोपित काराधीक्षक, श्री घनश्याम राम विफल रहें है, जिसके लिए कारा हस्तक के नियम 60 एवं 61 के आलोक में वे दोषी है। अतः उनका पुनर्विलोकन अभ्यावेदन स्वीकार करने योग्य नहीं है।

8. **उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सम्यक् विश्लेषणोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री घनश्याम राम, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, सीतामढ़ी एवं मंडल कारा, आरा (सम्प्रति सेवानिवृत्त) के द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को अस्वीकृत किया जाता है।**

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/निग0को0(क)–48/09.....दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/निग0को0(क)–48/09.....508.....दिनांक–07-02-2017.....

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/श्री घनश्याम राम, सेवानिवृत्त, काराधीक्षक, मो0+पो0–लक्ष्मी सागर, वार्ड नं0–15, जिला–दरभंगा, बिहार/आई0टी0 मैनेजर, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कारा महानिरीक्षक का गोपनीय कोषांग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

7.2.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)